विकास आयुक्त, बिहार की अध्यक्षता में स्पेशल प्लान (बी0आर0जी0एफ0) पर दिनांक 09.07.2012 को आयोजित समीक्षा बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति– पंजी के अनुसार ।

बैठक में विकास आयुक्त द्वारा बताया गया कि आज की बैठक में स्पेशल प्लान अंतर्गत 12वीं पंचवर्षीय योजना में लिए जाने वाले सिर्फ नई परियोजनाओं के संदर्भ में विचार किया जाना है। उन्होंने यह भी बताया कि इस मद के अंतर्गत 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कम से कम ₹ 4000.00 करोड़ प्रतिवर्ष की दर से ₹ 20000.00 करोड़ उपलब्ध कराने हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध किया गया है। इस सन्दर्भ में दिनांक 07.06.2012 को मुख्य सचिव,बिहार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में भी इस हेतु परियोजना के नाम और प्राक्कलित राशि की प्राथमिकता सूची तैयार करते हुए एक सप्ताह के अंदर योजना एवं विकास विभाग को भेजने का निदेश दिया गया था। जो अब तक प्राप्त नही हो सका। इसी संदर्भ में सम्बंधित विभागों के विभागवार स्थिति की समीक्षा की गई जो निम्न प्रकार है:–

1. **ग्रामीण कार्य विभाग**– पूर्व के वर्षों में स्पेशल प्लान अंतर्गत ग्रामीण कार्य विभाग की परियोजनाएँ कार्यान्वित नहीं हो रही थी। वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए इस विभाग को परियोजनाओं की प्राथमिकता सूची तुरंत भेज देने का निदेश दिया गया है जिन पर अविलम्ब कार्य कराया जाना है। सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि ग्यारह नक्सल जिलों एवं कोसी परियोजना से सम्बंधित 5 जिलों में अन्य मदों से ग्रामीण सड़कों का कार्य कराया जा रहा है। निदेश दिया गया कि जिन जिलों में अन्य मदों से ग्रामीण सड़कों का कार्य हो रहा है उन जिलों को छोड़कर प्राथमिकता सूची तैयार की जाय और 15 दिनों के अंदर परियोजनाओं की प्राथमिकता सूची भेज दी जाय । इनमें से प्रथम वित्तीय वर्ष में ₹ 2000.00 करोड़ की योजनाओं को शामिल करने पर विचार किया जाएगा ।

(अनुपालन– ग्रामीण कार्य विभाग)

2. **जल संसाधन विभाग**– प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग द्वारा बैठक में बताया गया कि पश्चिमी गंडक नहर प्रणाली जीर्णोद्धार की परियोजना जिसकी लागत राशि ₹ 2169.00 करोड़ है की स्वीकृति केन्द्रीय जल आयोग,नई दिल्ली से प्राप्त है जिसे स्पेशल प्लान अंतर्गत रखा जा सकता है। इस क्रम में विकास आयुक्त द्वारा इस आशय का छानबीन कर लेने का निदेश दिया गया कि इस परियोजना के उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ने वाले भागों पर कार्य नहीं किए जाने की स्थिति में क्या दुष्प्रभाव पड़ सकता है। अभी भी इस परियोजना में Escape Channel नहीं रहने के कारण सारण जिला में एक बड़े भू–भाग में जल जमाव की स्थिति बनी रहती है। यह भी देख लिया जाए कि इस परियोजना से इस समस्या का निदान हो रहा या नहीं ।

बैठक में यह भी बताया गया कि केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली को दो और नई परियोजनाओं स्वीकृति के लिए भेजी गई है। उनकी लागत राशि ₹ 2000.00 करोड़ (अरेराज के पास द्वितीय गंडक बाराज) एवं ₹ 1275.00 करोड़ (बागमती नदी पर ढेंग में बाराज) है। बैठक में विकास आयुक्त द्वारा निदेश दिया गया कि इन परियोजनाओं का विस्तृत प्रतिवेदन के सम्बंध में वस्तु स्थिति की स्पष्ट जानकारी दें तथा इसे केन्द्रीय जल आयोग से स्वीकृत कराने की कार्रवाई तेज करें। दिनांक 20.07.2012 के पूर्व बैठक कर स्पेशल प्लान अंतर्गत लिए जाने का सुनिश्चित कर लिया जाय ।

विकास आयुक्त द्वारा बाढ़ से बचाव के बिन्दु पर ध्यान रखते हुए नदियों को जोड़नेवाली योजनाओं पर भी गंभीरता से विचार करने का निदेश दिया गया। इस क्रम में उनके द्वारा यह भी बताया गया कि गंडक तथा लालवखिया के बीच 18 पहाड़ी नदियों का पानी बूढ़ी गंडक नदी के माध्यम से धीरे–धीरे निकलता है जिसके कारण बाढ़ का प्रकोप अत्यधिक भयावह हो जाता है। यदि इन नदियों के पानी का एक भाग भी एक नहर द्वारा सीधे गंडक नदी में मिला दिया जाता है तो बाढ़ से बचाव हो सकता है। इसके लिए छोहरा–चन्द्रावती लिंक योजना बनायी गई है। दिनांक 20.07.2012 के पूर्व उक्त बिन्दुओं पर कार्यवाही सुनिश्चित कर लेने का निदेश दिया गया है ताकि स्पेशल प्लान अंतर्गत इसे रखा जा सके।

(अनुपालन– जल संसाधन विभाग)

3. **पथ निर्माण विभाग–** सचिव, पथ निर्माण विभाग द्वारा बैठक में बताया गया कि स्पेशल प्लान अंतर्गत लिए जाने हेतु ₹ 2100.00 करोड़ लागत की परियोजनाओं के डी0पी0आर बनकर तैयार है। इनमें नालंदा जिला से सम्बंधित ₹ 405.00 करोड़ की योजनाएँ मुजफ्फरपुर जिला का ₹ 350.00 करोड की योजनाएँ पटना से सम्बंधित परियोजनाओं एवं विभिन्न जिलों से सम्बंधित राज्य उच्च पथों की योजनाएँ सम्मिलित है।

बैठक प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग द्वारा Indo-Nepal सीमा पर बनने वाली सड़क में पड़ने वाले पुलों के निर्माण की योजनाओं को स्पेशल प्लान अंतर्गत रखने का सुझाव दिया गया और योजनाओं की प्राथमिकता सूची में सम्मिलित करने पर विचार किया गया।

इस तरह से कुल ₹ 12000.00 करोड़ की परियोजनाओं का प्राथमिकता सूची एक दो दिनों के अंदर भेज देने का निदेश सचिव, पथ निर्माण विभाग को दिया गया ताकि स्पेशल प्लान में सम्मिलित करने पर विचार किया जा सके ।

(अनुपालन– पथ निर्माण विभाग)

4. **ऊर्जा विभाग–** 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्पेशल प्लान अंतर्गत ऊर्जा प्रक्षेत्र की प्रस्तावित परियोजनाओं की लागत राशि ₹ 12255.00 करोड़ है। इसमें उत्पादन के लिए ₹ 4145.00 करोड़ संचरण के लिए ₹ 5876.00 करोड़ एवं वितरण के लिए ₹ 2236.00 करोड की योजनाएँ

सम्मिलित है। बैठक में अध्यक्ष बिहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष में संचरण के लिए ₹ 341.88 करोड, वितरण के लिए ₹ 447.00 करोड़ एवं ऊर्जा प्रक्षेत्र की अत्यावश्यक चिह्नित कार्यों के लिए ₹ 228.00 करोड़ की परियोजनाएँ लिए जाने का प्रस्ताव रखा गया। R & M अंतर्गत भी योजनाएँ लेने का प्रस्ताव उनके द्वारा दिया गया। विकास आयुक्त द्वारा निदेश दिया गया कि पूरे पंचवर्षीय योजना काल के लिए लागत राशि के साथ परियोजनाओं की प्राथमिकता सूची 15 दिनों के अंदर प्रस्तुत किया जाय और डी0पी0आर तैयारी की स्थिति से अवगत कराया जाय। बैठक में विकास आयुक्त द्वारा यह भी निदेश दिया गया कि वर्तमान विद्युत वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने हेतु कोई योजना तैयार हो तो उसे भी सूची में सम्मिलित करते हुए दो सप्ताह के अंदर प्रस्तुत किया जाय।

(अनुपालन– ऊर्जा विभाग)

5. **लघु जल संसाधन विभाग–** समीक्षा के दौरान पाया गया कि लघु जल संसाधन विभाग अंतर्गत पूर्व में स्वीकृत परियोजना लागत राशि की पूरी राशि केन्द्र सरकार से विमुक्त नहीं हो पायी है। जो राशि केन्द्र सरकार से विमुक्त हुई है, उसमें से लगभग ₹ 150.00 करोड़ नाबार्ड के पास अवशेष है। उस अवशेष राशि को पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अविलम्ब उपयोग करते हुए अवशेष राशि की माँग प्रस्तुत करने का निदेश विकास आयुक्त द्वारा दिया गया।

सचिव, लघु जल संसाधन विभाग द्वारा बैठक में अवगत कराया गया कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्पेशल प्लान अंतर्गत दो लाख डीप ट्यूबवेल एवं 5 लाख शैलो ट्यूबवेल निर्माण किए जाने का प्रस्ताव है। इन योजनाओं पर लगभग ₹ 5500.00 करोड़ लागत आने की सम्भावना व्यक्त की गई जिस पर अनुदान की राशि लगभग ₹ 4000.00 करोड़ आकलित की गई । इस आशय का स्पष्ट योजना प्रस्ताव/डी0पी0आर तैयार कर अविलम्ब भेजने का निदेश दिया गया ।

(अनुपालन– लघु जल संसाधन विभाग)

पर्यावरण एवं वन विभाग से बैठक में किन्ही के उपस्थित नहीं होने के कारण परियोजना प्रतिवेदन तैयार किए जाने के बिन्दु पर जानकारी उपलब्ध नहीं हो सकी। इस विभाग से प्राथमिकता सूची/परियोजना प्रतिवेदन अविलम्ब प्राप्त किया जाय ।

(अनुपालन– पर्यावरण एवं वन विभाग)

इसके साथ ही धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई ।

(अशोक कुमार सिन्हा)
विकास आयुक्त, बिहार।

ज्ञापांक: यो04/रा0स0वि011/2012 2786 यो0वि0,पटना, दिनांक 13 जुलाई, 2012
प्रतिलिपि: प्रधान सचिव/सचिव, ऊर्जा विभाग/पथ निर्माण विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/जल संसाधन विभाग/पर्यावरण एवं वन विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग,बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13.7.2012
(दीपचन्द प्रसाद)
संयुक्त निदेशक

ज्ञापांक: यो04/रा0स0वि011/2012 2786 यो0वि0,पटना, दिनांक 13 जुलाई, 2012
प्रतिलिपि: विकास आयुक्त, बिहार के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13.7.2012
संयुक्त निदेशक